तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
06.01.2022		

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र (बाजवा) आदेश 41 नियम 19 सीपीसी प्रस्तुत हुयी।

वकील प्रार्थी का तर्क रहा है कि मूल अपील पत्रावली दिनांक 29.08.2018 को वास्ते बहस हेतु नियत थी। उक्त पेशी दिनांक को भारी बारिश हो रही थी। इसलिये फरीक न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके एवं उनके अभिभाषक आवाज नहीं सुन सके। लिहाजा मूल अपील 12:15 बजे अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज फरमा दी गयी। जबकि न्यायालय को पॉच बजे तक इंतजार करना चाहिये था। प्रार्थी अपने उक्त मुकदमे का निस्तारण मैरिट पर कराना चाहता है। हस्तगत प्रार्थीना पत्र मूल अपील के अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज होने पर दूसरे ही दिन न्यायालय हाजा में बिना किसी देरी के लगाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर, मूल अपील को नम्बर पर लेने का निवेदन किया।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थना पत्र बाजवा अपूर्ण है। बाजवा प्रार्थना पत्र में मुताबिक अपील के शीर्षक सभी पक्षकारान के नाम अंकित किया जाना आवश्यक है, जो नहीं किये गये हैं। उक्त प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर अकेले इन्दर की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जो कतई मैन्टेबिल नहीं है। अपील न्यायालय हाजा में ग्यारह व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की गई थी परन्तु हस्तगत प्रार्थना केवल एक व्यक्ति इन्दर द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं रहता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हम पाते हैं कि मूल अपील दिनांक 29.08.2018 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हुयी है। जिस पर प्रार्थी द्वारा दूसरे ही दिन दिनांक 30.08.2018 को हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें पेशी दिनांक 29.08.2018 को भारी बारिश होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका, कथन किया है। परन्तु हम अभिभाषक रैस्पो0 की इस आपत्ति की बाजवा प्रार्थना पत्र अपूर्ण है, को भी अनदेखा नहीं कर सकते। सरसरी तौर पर देखने से उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 जा0दी0 के तहत मूल अपील को पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रस्तुत किया गया है। परन्तु गहनता से विचार करने पर प्रार्थना पत्र की तुच्छता (Frivolousness) प्रकट होती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा मूल अपील के सभी पक्षकारो को पक्षकार नहीं वनाया गया है। परन्तु इसकी पूर्ति कोस्ट से की जा सकती है। लिहाजा हम प्रार्थना पत्र कोस्ट पर स्वीकार किये जाने योग्य पाते हैं।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र बाजवा 200/— अक्षरे दो सौ रूपये पर स्वीकार किया जाकर, मूल अपील सुनवाई हेतु नम्बर पर ली जाती है। वकील प्रार्थी मूल अपील में मृतक पक्षकारो के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की कार्यवाही अन्दर 15 दिवस में करें। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार किया जाकर, मूल अपील के संलग्न रहे।

06.1.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर